(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1789–दो / 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–03–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–678 / अपील / 2005–06

.....

अनोद जैसवाल पुत्र रविप्रकाश जैसवाल
निवासी–कोलगवा, सतना, तहसील रघुराजनगर
जिला–सतना(म0प्र0)

————आवेदक

विरूद्ध

1– दुकौड़या पुत्र शिवकरण कौल
2– मुस0 बेवा शिवकरण कौल
3– झल्ला पिता अदना
4– मुस0 धोखिया बेबा बिहारी
5– छेदिया, रज्जु पिता बिहारी नाबालिक बली
सरपस्त मां मुस0 धोखिया
6– कालू वल्द परदेशी कोल
7– दशरथ पिता बदी कोल
8– कुमारे दरबारीलाल, धई पिता लोला कोला
9– शुद्धा पिता विशाला कोल
सभी निवासी–राजस्थान तहसील रघुराजनगर
जिला–सतना(म0प्र0)
10– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, सतना

————अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25-07-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम राजस्थान, तहसील रघुराजनगर स्थित शासकीय आराजी नं0 1000/1 के अंश भाग रकबा 18.13 एकड़ भूमि पर खनिज पट्टा हेतु ज्ञानीलाल पाठक को शासन द्वारा पट्टा स्वीकृत किया गया था तथा भू–प्रवेश की अनुमति दिनांक 23.01.1974 को 20 वर्षों के लिये प्रदान की गई। ज्ञानीलाल पाठक की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी उमा बाई एवं उमा बाई के मृत्यु उपरांत उसके पुत्र पंकज पाठक को लीज स्वीकृत की । पंकज पाठक द्वारा आवेदक अनोद के नाम उक्त लीज पट्टे का हस्तांतरण अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन खनिज संशोधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–3–88/99/12/2 भोपाल, दिनांक 07.06.2000 के द्वारा किया गया, इसके बाद इस लीज का नवनीकरण भी हुआ, जिसमें खनिज उत्खन्न का कार्य जारी है । तहसीलदार ने कलेक्टर, सतना के समक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उपरोक्त भूमि खनिज उत्खनन के कारण कृषि योग्य नहीं रह गई है। अतः प्रतिवेदन के अनुसार पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। जिस पर कलेक्टर सतना ने स्वप्रेरणा की कार्यवाही करते हुये संहिता की धारा 247(4)(5) एवं भू–अर्जन अधिनियम 1994 के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 678/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2007 से निगरानी निरस्त की । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों के तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण का निराकरण प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जावे। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक क0 1 लगायत 9 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर

कलेक्टर ने प्रकरण में विधिवत दस्तावेजों का अवलोकन एवं जांच उपरांत संहिता की धारा 247(4)(5) एवं भू–अर्जन अधिनियम 1984 के प्रावधानों के आधार पर प्रतिकर का भुगतान नहीं करने के कारण संबंधित भूमिस्वामी के भुगतान प्रतिकर प्राप्ती की कार्यवाही हेतु आदेश दिया है। कलेक्टर द्वारा विधिवत जांच उपरांत कार्यवाही की गई है। जिसे अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2007 से विस्तृत विवेचना उपरांत सही पाया है। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जो उचित प्रतीत होते है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 28.03.2007 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,